# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–9 / उपा०कीट०अनु०–01 / 2014– / कृ0, पटना, दिनांक ...........दिसम्बर, 2015

प्रेषक,

**बी0 कार्तिकेय, भा०प्र०से०**
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

**श्री विनोद कुमार सिंह,**
मेसर्स दयाल बायोटेक प्रा0 लि0,
प्लॉट नं0–ए0 33,
इन्डस्ट्रीयल एरिया, मुजफ्फरपुर।

विषय :– **कीटनाशी बिक्री / भंडारण अनुज्ञप्ति सं0–70 दिनांक 09.05.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन पत्र, कोषागार चालान, अन्य संगत कागजातों एवं सहायक निदेशक (पौ0 सं0), मुजफ्फरपुर से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत् मेसर्स रोम विजय बायोटेक प्रा0 लि0 द्वारा विनिर्मित एक कीटनाशी एवं मेसर्स गोपाल इन्डस्ट्रीज द्वारा विनिर्मित दो कीटनाशी अर्थात कुल 3 कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता तिथि के आलोक में कीटनाशी बिक्री / भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या–70 दिनांक 09.05.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण एवं एक कीटनाशी का इन्डोर्समेन्ट दिनांक 31.12.2015 तक के लिए किया जाता है।

| क्र० | कम्पनी का नाम | कीटनाशी का नाम |
|---|---|---|
| 1 | **मेसर्स रोम विजय बायोटेक प्रा0 लि0,** शांतीनगर, पांडीचेरी | Pseudomonas Florescens 1%WP |
| 2 | **मेसर्स गोपाल इन्डस्ट्रीज**, जी0–31, उद्योग कुंज दसना, इन्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। | Sulphur 85% DP |
| 3 | | Sulphur 40% SC |

**इन्डोर्समेन्ट :–**

| क्र0सं0 | कम्पनी का नाम | कीटनाशी का नाम |
|---|---|---|
| 1 | **मेसर्स रोम विजय बायोटेक प्रा0 लि0,** शांतीनगर, पांडीचेरी | Trichoderma viride 1.5% WP |

2–उपरोक्त कीटनाशी का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगा:– मेसर्स दयाल बायोटेक प्रा0 लि0, प्लॉट नं0–ए0 33, इन्डस्ट्रीयल एरिया, मुजफ्फरपुर।

3–यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री / भंडारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4–अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री / भंडारण / विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5–भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री / भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6–नियम 10 बी0 के तहत् सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

7–अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक / संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8–अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता के अतिरिक्त राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9– कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं0–70 दिनांक **09.05.2013** मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–

**(बी0 कार्तिकेय)**

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 5734 /कृ0, पटना, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

**प्रतिलिपि**– (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**कृषि निदेशक, बिहार, पटना।**



601/15/A-5